आर.ई.ओ.—99

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि०

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)
न्यू पावर हाऊस, इण्डस्ट्रीयल ऐरिया, जोधपुर–342 003 फोन नं. 0291 2651313 (का.) फेक्स नं० 2651227

क्रमांकः— प्रनि / जोविविनिलि / मु.अ. / सीपीएम / अ.अ. / अनु–पीपीएम / पत्रा०आर.ई.ओ. / प्रे०सं० 1515 जोधपुर,दिनांक :— 6/7/05

आदेश

विषय :— सामान्य श्रेणी के काश्तकारो का कुआ सूख जाने पर स्वेच्छा से कृषि कनेक्शन विच्छेद के संबंध मे।

****

राज्य सरकार द्वारा कृषको को राहत पहुचाने के उद्देश्य से जारी राहत पैकेज के क्रम मे समन्वय समिति की दिनांक 2/7/2005 को आयोजित 83 वीं बैठक मे निर्णय लिया गया है कि सामान्य श्रेणी के ऐसे काश्तकार जिनके कुओं मे पानी सूख गया है। उनके प्रार्थना पत्र पर उचित सत्यापन सम्बन्धित सहायक अभियन्ता द्वारा करने के उपरान्त उनके कृषि विद्युत सम्बन्ध अस्थाई रुप से विच्छेद कर दिये जावे। ऐसे उपभोक्ताओ को दो वर्ष की अवधि मे कभी भी अपना विद्युत सम्बन्ध पुनः चालू करा सकेगे, परन्तु यह सुविधा उपभोक्ता को एक बार ही दी जावेगी। विद्युत सम्बन्ध विच्छेद की अवधि का न्यूनतम चार्ज नही लिया जावेगा।

उक्त आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होगे।

(एच.एस.देवडा)
मुख्य अभियन्ता (सी.पी.एम)
जोधपुर डिस्कॉम,जोधपुर।